

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग,  
(राजस्थान झील विकास प्राधिकरण)

क्रमांक: प.8(झील) ( )/डीएलबी/2024/ 8355

दिनांक:- 16/12/2024


आयुक्त,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय : विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा नगरीय निकायों में राजस्थान नगर पालिका सेवा के कार्मिक के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सेवायें देने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विभागों/राजकीय उपक्रमों/मण्डलों/निगमों आदि में सेवारत अधिकारियों /कर्मचारियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों यथा : राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र 'टाईम्स ऑफ इण्डिया' के दिनांक 17.12.2024 को प्रकाशित होने वाले समस्त संस्करणों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


  
(श्याम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: प.8(झील) ( )/डीएलबी/2024/ 8355-58

दिनांक:- 16/12/2024

प्रतिलिपि :

1. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन शीघ्र करवाने की कार्यवाही करावें।
2. संयुक्त निदेशक कम सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संक्षिप्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
3. कॉर्डिनेटर, सी.एम.ए.आर., निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संक्षिप्त विज्ञप्ति को सम्बन्धित साईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।

  
अतिरिक्त निदेशक  
निदेशालय


राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग,  
(राजस्थान झील विकास प्राधिकरण)

क्रमांक: प.8(झील) ( )/डीएलबी/2024/0359

दिनांक:- 16/12/2024

सार्वजनिक विज्ञप्ति

राजस्थान झील विकास प्राधिकरण में विभिन्न रिक्त पदों हेतु कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/राजकीय उपक्रमों/मण्डलों/निगमों/सहकारी संस्थाओं/पंचायतीराज संस्थाओं में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को लेने हेतु इच्छुक योग्य कार्यरत /सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर सेवाये देने की अवधि 01 से 04 वर्ष की होगी। उक्त पदों के लिये लिखित आवेदन की अंतिम तिथि 31.12.2024 (मंगलवार) है। प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिक, विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण उपरान्त योग्य पाये गये आवेदनकर्ता इस हेतु गठित साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। साक्षात्कार उपरान्त अंतिम रूप से चयनित अधिकारियों/कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञप्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट : [lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://lsg.urban.rajasthan.gov.in) अथवा निदेशालय स्थानीय निकाय में सम्पर्क किया जा सकता है।

  
(श्याम सिंह)

अतिरिक्त निदेशक

### आदेश

वर्तमान में राजस्थान झील विकास प्राधिकरण में विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण प्राधिकरण की कार्य क्षमता व कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः प्राधिकरण द्वारा (प्रशासनिक, तकनीकी, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग) के अधिकारियों/कर्मचारियों (संलग्न सूची अनुसार) के रिक्त पदों पर निम्न वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/राजकीय उपक्रमों/मण्डलों/निगमों/सहकारी संस्थाओं/पंचायतीराज संस्थाओं में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति/संविदा पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

#### A. प्रतिनियुक्ति हेतु शर्तें :

1. प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अधिकारी राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक, तकनीकी, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग) सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के समकक्ष पद (ग्रेड पे) या उच्च पद पर कार्यरत हो।
2. प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अधिकारियों के पैतृक विभाग की सहमति हो।
3. प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अधिकारी न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहेंगे।
4. अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि के दौरान कार्य निष्पादन (Work Performance) संतोषजनक नहीं होने एवं कार्य में लापरवाही/दुराचरण पाये जाने पर पैतृक विभाग के लिये कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।
5. उक्त अधिकारियों को वेतन संरक्षण देय होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
6. रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि 01 से 04 वर्ष तक या भर्ती पश्चात् उपलब्ध नव चयनित अधिकारियों की नियुक्ति तक ही होगी।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त उक्त पदों पर संविदा (Contract Basis) के आधार पर फिक्स वेतन पर कार्य करने हेतु इच्छुक योग्य सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से भी निम्न वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन सेवायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

#### B. संविदा हेतु शर्तें :

1. संविदा के आधार पर फिक्स वेतन पर कार्य करने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संलग्न सूची अनुसार सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के समकक्ष पद (ग्रेड पे) या उच्च पद से सेवानिवृत्त हों।
2. संविदा पर कार्य करने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 65 वर्ष हो।

3. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की सविदा सेवा अवधि के दौरान कार्य निष्पादन (Work Performance) संतोषजनक नहीं होने एवं कार्य में लापरवाही/दुरुचरण पाये जाने पर कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

4. उपरोक्त पदों पर सविदा की अवधि 01 से 04 तक वर्ष या भर्ती के उपरान्त उपलब्ध नव घयनित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति तक ही होगी।

उक्त पदों के लिये लिखित आवेदन की अंतिम तिथि 31.12.2024 (मंगलवार) है। प्रतिनियुक्ति/सविदा पर नियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिक विभाग द्वारा विज्ञापित जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। जांच/साक्षात्कार के पश्चात् प्रतिनियुक्ति/सविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट [s.g.urban.rajasthan.gov.in](http://s.g.urban.rajasthan.gov.in) अथवा निदेशालय स्थानीय निकाय में सम्पर्क स्थापित कर की जा सकती है।

(कुमार प्रील गीतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव  
तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राज.डील विकास प्राधिकरण

दिनांक:- 12/12/2024

क्रमांक: प.8(डील) ( )/डीएलवी/2024/ 8025-8354

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशार्पी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त निदेशक/सचिव, भर्ती आयोग/उप निदेशक (प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार/संस्थापन अधिकारी, निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक कम सिस्टम एनालिस्ट/जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(श्याम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त निदेशक  
स्वायत्त शासन विभाग

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक, तकनीकी, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग) सेवा में प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारियों/कार्मिकों के रिक्त पदों का विवरण

क्रम.स	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पे-बैण्ड व ग्रेड-पे	योग्यता	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	उप वन संरक्षक	01	PB-3 9300-34800 L-9 GP 5400/-	स्नातक एवं राज्य अधीनस्थ वन सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
2	अधिशापी अभियन्ता	01	PB-3 15600- 39100 L-16 GP 6600/-	अभियांत्रिकी (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) में स्नातक एवं राज्य अभियांत्रिकी सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
3	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	01	PB-2 9300- 34800 L-10 GP 3600/-	अभियांत्रिकी (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) में स्नातक एवं राज्य अभियांत्रिकी सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
4	सहायक लेखाधिकारी	01	PB-2 9300- 34800 L-12 GP 4800/-	स्नातक एवं राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
5	कनिष्ठ लिपिक	01	PB-1 5200- 20200 L-5 GP 2400/-	स्नातक एवं राज्य अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं नगर पालिका सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
6	पटवारी	01	PB-1 5200- 20200 L-5 GP 2400/-	स्नातक एवं राज्य अधीनस्थ राजस्व सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक
7	गिरदावदर		PB-2 9300- 34800 L-10 GP 3600/-		01 से 04 वर्ष तक
8	चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी	01	PB-1 5200- 20200 L-1 GP 1700/-	सैकेन्डरी एवं राज्य अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं नगर पालिका सेवा के समकक्ष	01 से 04 वर्ष तक